उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की श्री राजेन्द्र कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 13.07.2017 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में आयोजित हुई अठारहवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति का विवरण :

1. श्री अशोक पै, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष– उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति
2. श्री जयराज, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य– उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति।
3. श्री गंभीर सिंह, प्रमुख वन संरक्षक, नियोज़न एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य– उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति।
4. श्री धनंजय मोहन, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव प्रशासन एवं विजिलेंस, उत्तराखण्ड, (प्रतिनिधि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति)।
5. श्री विनीत कुमार पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड (प्रतिनिधि नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड एवं सदस्य– उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति)।
6. श्री जे.सी. जोशी, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड वन विभाग एवं सदस्य, उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति।
7. श्री समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति की 18वीं बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया एवं तद्नुसार बिन्दुवार कार्यवाही प्रारंभ की गई:–

कार्यसूची कार्यकारी समिति 18.1:

दिनांक 08.07.2016 को सम्पन्न हुई सत्रहवीं कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 18.07.2016 को आयोजित कार्यकारी समिति सत्रहवीं की बैठक के कार्यवृत्त अनुसार लिये गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

मुख्य बिन्दु	अनुपालन आख्या
कार्यसूची 17.1: कार्यकारी समिति की दिनांक 15 फरवरी 2016 को संपन्न 16वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालन	समस्त सदस्यों द्वारा कार्यकारी समिति की सोलहवीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।
कार्यसूची 17.2: कैम्पा निधि के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 की अद्यावधिक स्थिति।	उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत कार्ययोजना ₹ 25052.24 लाख के अतिरिक्त कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2016 को सम्पन्न हुई 16वीं बैठक में कार्य की महत्ता एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न वन प्रभागों के ₹ 1598.62 लाख के अतिरिक्त प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए इसे संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। दिनांक 26 अगस्त, 2016 को संचालन समिति की 11वीं बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त अतिरिक्त प्रस्तावों को सम्मिलित किए जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए संचालन समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना हेतु कुल ₹ 26650.86 लाख की संशोधित कार्ययोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त के सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को 18511.78 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई व कुल व्यय 15387.56 लाख रहा।
कार्यसूची 17.3: उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2016–17 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के सम्बन्ध में	वर्ष 2016–17 हेतु कार्यकारी समिति की 17वीं बैठक में ₹ 41988.20 लाख की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई तथा वर्ष 2015–16 की स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष वचनबद्ध गतिविधियों हेतु ₹ 3869 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए ₹ 44105.01 लाख की कार्ययोजना संचालन समिति की 11वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के कम में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु अवमुक्त की जाने वाली संभावित धनराशि तथा उत्तराखण्ड कैम्पा में उपलब्ध विगत वर्ष की अव्ययित धनराशि को सम्मिलित करते हुए, कार्यकारी समिति की 17वीं बैठक में अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष कुल ₹ 34680 लाख की कार्ययोजना को संचालन समिति द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है:– <table><tr><td>एन.पी.वी.</td><td>एन.पी.वी. वन पंचायत</td><td>क्षतिपूरक वनीकरण</td><td>अन्य</td><td>कैट प्लान</td><td>कुल योग (लाख ₹ में)</td></tr><tr><td>23859.00</td><td>1035.00</td><td>2845.00</td><td>4791.00</td><td>2150.00</td><td>**34680.00**</td></tr></table>
कार्यसूची 17.4: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज	कार्यकारी समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के सुचारू प्रबन्धन/संचालन हेतु, कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज

की धनराशि से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रबन्धन हेतु बजट के सम्बन्ध में	की धनराशि का विभिन्न मदों में ₹ 550.30 लाख एवं इसके अतिरिक्त भीषण वनाग्नि की घटनाओं के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में विभिन्न वन पंचायतों, स्कूलों इत्यादि में कठपुतली शो, वनाग्नि जनजागरूकता कार्यक्रम व प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए जिस हेतु कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से ₹ 25.00 लाख का प्राविधान करते हुए जनजागरूकता मद में किए गए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि का वर्ष 2016–17 हेतु कुल बजट ₹ 575.30 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।
कार्यसूची 17.5: अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अन्य बिन्दु :–	**कैम्पा निधि के अन्तर्गत कल्याण कोष की व्यवस्था :–** कार्यकारी समिति द्वारा कल्याण कोष निधि की नियमावली को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु श्री मोनिष मलिक, अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा एवं श्री सुशान्त पटनायक, वन संरक्षक, एवं उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को दायित्व सौंपा गया।

समस्त सदस्यों द्वारा उक्तानुसार की गयी कार्यवाही की पुष्टि की गयी। कार्यसूची 17.5 के अनुसार कैम्पा निधि के अन्तर्गत कल्याण कोष की व्यवस्था किये जाने के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त कल्याण कोष की स्थापना कॉर्बेट फॉउन्डेशन की तर्ज पर की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत वन एंव वन्य जीव सम्पदा के संरक्षण में कार्यरत कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों को राजकीय कार्य सम्पादन के समय होने वाली दुर्घटनाओं की दशा में सुरक्षा कवच के तौर पर यथोचित सहयोग एवं उनके परिजनों को यथासंभव प्रतिपूर्ति की जा सके। इस कार्य हेतु सर्वप्रथम गाईडलाइन के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना है। कार्यकारी समिति द्वारा उक्त पर निर्णय लिया गया कि कल्याण कोष की स्थापना क्षतिपूरक वनीकरण अधिनियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार ही किया जाए।

(कार्यवाही– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 18.2: वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रगति।</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड कैम्पा संचालन समिति द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2016 को सम्पन्न 11वीं बैठक में ₹ 34680.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदित की गई। अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष विभिन्न कियान्वयन अभिकरणों को ₹ 12223.87 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष निम्न घटकों के अनुसार ₹ 9937.42 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है।

एन0पी0वी0	एन0पी0वी0 वन पंचायत	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	कैट प्लान	कुल योग (लाख ₹ में)
5302.65	427.50	2686.43	600.18	876.81	**9937.42**

अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की अपेक्षित प्रगति प्राप्त न होने पर अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को आवंटित लक्ष्यो की शत् प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा कैम्पा के अन्तर्गत संपादित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में निम्नानुसार स्पष्ट निर्देश दिये गये कि:–

(i) क्षतिपूरक वनीकरण एक स्थल विशिष्ट कार्य है तथा भारत सरकार की अनुमति के बिना वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में उल्लिखित स्थलों में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए।

(ii) स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के जिन मदों में कैम्पा द्वारा धनराशि आवंटित की जाती है, केवल उन्ही मदों में आवंटित लक्ष्यों की सीमा तक व्यय किया जाए तथा आवंटित मदों से इतर किसी प्रकार का व्यय ना किया जाए।

(iii) किसी भी मद में स्वीकृति की प्रत्याशा में किसी भी प्रभाग द्वारा कार्य सम्पादित न कराए जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त के संबंध में निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की अनियमितता की दशा में संबंधित वन प्रभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक प्रति उनके नियंत्रक अधिकारी को भी पृष्ठाकिंत की जाए एवं इसे वित्तीय नियमों की अवहेलना मानते हुए, संबन्धित के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं समस्त जोनल चीफ)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 18.3: वित्तीय वर्ष 2017–18 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना हेतु उपलब्ध होने वाली संभावित धनराशि का आंकलन निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि (लाख रू0)
1.	एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार में दिनांक 31 मार्च, 2017 को उपलब्ध उत्तराखण्ड प्रदेश की कैम्पा निधि	192356.00
2.	कुल उपलब्ध निधि का 10%	19235.60
3.	एड–हॉक कैम्पा द्वारा रखी जाने वाली 10% धनराशि	1923.56
4.	वर्ष 2017–18 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली संभावित धनराशि	17312.00
5.	उत्तराखण्ड कैम्पा में वर्तमान में उपलब्ध अवशेष कैम्पा निधि	15000.00
	योग (4+5)	**32312.00**

सदस्य सचिव द्वारा वार्षिक कार्ययोजना 2017–18 हेतु विभिन्न जोनल स्तर से प्राप्त कार्ययोजनाओं का मुख्य घटकवार विवरण निम्नानुसार कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा प्रत्येक घटक का मदवार एवं क्रियान्वयन इकाईवार विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया गया।

एन0पी0वी0	एन0पी0वी0 वन पंचायत	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	कैट प्लान	कुल योग (लाख ₹ में)
11252.46	1195.35	4070.03	1482.16	2000.00	**20000.00**

कार्यकारी समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न मदों में प्रस्तावित धनराशि का अवलोकन करने के पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:–

1) कार्यकारी समिति द्वारा हल्द्वानी जू हेतु मुख्य वन संरक्षक/निदेशक अन्तर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं सफारी, हल्द्वानी द्वारा हल्द्वानी जू निर्माण से संबंधित ₹ 1900.00 लाख के प्रस्ताव को CAF ACT. 2016 तथा CAF Rules 2017 के प्राविधानों के आलोक में वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना में सम्मिलित किए जाने के संबंध में असहमति व्यक्त की गई।

2) दिनांक 03.07.2017 को मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तराखण्ड कैम्पा शासी निकाय की तृतीय बैठक के कम में प्रत्येक जिले में कम से कम एक मृतप्राय: नदी के कैचमेन्ट में River Front Development कार्य के अन्तर्गत वृक्षारोपण व उपचार हेतु ₹ 100.00 लाख की धनराशि प्राविधानित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3) कालागढ़, जैंती तथा रामपुर मंडी स्थित वन प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढीकरण हेतु ₹ 100.00 लाख प्राविधानित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

4) Assisted Natural Regeneration (ANR) हेतु ₹ 200.00 लाख का प्राविधान किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

5) उत्तराखण्ड की लोक परम्परा/संस्कृति से जुड़े हरेला, वन महोत्सव आदि पर्वो पर वृक्षारोपण का आयोजन किये जाने के दृष्टिगत ₹ 200.00 लाख का प्राविधान एवं मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम के दृष्टिगत जंगली फल प्रजाति की पौधों के रोपण हेतु ₹ 300.00 लाख का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

6) वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत वन मार्गो के सुदृढीकरण हेतु ₹ 500.00 लाख की धनराशि का इस मद की कंटिजेन्सी के अर्न्तगत प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सुझाव दिया गया विभाग की शोध शाखा को Upgrade किये जाने के दृष्टिकोण से कैम्पा निधि के कुछ अंश का उपयोग वन एवं वन्य जीवों से सम्बन्धित Action Research हेतु Small Grants के माध्यम से किया जाए। इस पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में जिन क्षेत्रों में अनुसंधान की आवश्यकता है, का आंकलन कर लिया जाए एवं कार्यदायी संस्थाओं से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त करने एवं प्रस्तावों के अध्ययन उपरान्त धनराशि दिये जाने तथा इसकी प्रगति की समय–समय पर समीक्षा हेतु नोडल अधिकारी को नामित किया जाए। समिति द्वारा अनुसंधान मद में ₹ 100.00 लाख प्राविधानित किये जाने का निर्णय लिया गया।

8) समिति द्वारा एन.पी.वी. के अन्तर्गत समय–समय पर आवश्यक कार्यों के दृष्टिगत एन0पी0वी0 के कन्टिजेंसी मद में ₹ 249.20 लाख प्राविधानित किए जाने का निर्णय लिया गया।

9) प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम, स्थानीय ग्रामीणों की फसलों को हाथियो, जंगली सूअर आदि जंगली जानवरों द्वारा पहुँचाई जा रही क्षति को न्यून करने के दृष्टिगत कार्यकारी समिति द्वारा खाई खुदान एवं पावर फेन्सिंग निर्माण हेतु रू0 1000.00 लाख का प्राविधान किए जाने हेतु निर्णय लिया गया।

10) समिति द्वारा कैट प्लान मद में प्रस्तावित रू0 2000.00 लाख (रू0 1598.68 लाख के विभिन्न कियान्वयन स्तरों से प्राप्त प्रस्ताव एवं रू0 401.32 लाख की अतिरिक्त कंटिन्जेन्सी) के प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् इसके अंतर्गत विभिन्न कियान्वयन इकाईयों से संबंधित रू0 1598.68 लाख के प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त उपरोक्त बिन्दुओं में उल्लिखित आवश्यक गतिविधियों को कार्ययोजना में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिगत कैट प्लान मद में प्राविधानित रू0 401.32 लाख की कंटिन्जेन्सी को संशोधित करते हुए रू0 101.32 लाख हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार कैट प्लान की संशोधित कार्ययोजना हेतु कुल रू0 1700.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

11) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ के स्तर से ₹ 3000.00 लाख की कार्ययोजना प्राप्त हुई थी परन्तु उनके द्वारा एक और संशोधित कार्ययोजना प्रेषित की गई है जिसमें ₹ 1325.92 लाख की अतिरिक्त मांग सम्मिलित हैं। कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अतिरक्त प्रस्तावों का अध्ययन कर लिया जाए तथा इनमें अति आवश्यक मदों को धनराशि की उपलब्धता अनुसार प्राविधानित कर लिया जाए।

इस प्रकार कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्ययोजना हेतु रू0 20000.00 लाख की निम्नानुसार घटकवार कार्ययोजना स्वीकृत की गई।

एन0पी0वी0	एन0पी0वी0 वन पंचायत	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	कैट प्लान	कुल योग (लाख ₹ में)
11544.96	1202.85	4070.03	1482.16	1700.00	**20000.00**

उक्त के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2016–17 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के स्वीकृत कार्यमदों के सापेक्ष अवशेष/अपूर्ण रह गए कार्यों को पूर्ण किए जाने के दृष्टिगत इन्हें वर्ष 2017–18 की कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष निम्नानुसार घटकवार विवरण प्रस्तुत किया गया।

एन0पी0वी0	एन0पी0वी0 वन पंचायत	क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य	कैट प्लान	कुल योग (लाख ₹ में)
6353.15	660.35	303.06	3339.94	1343.50	**12000.00**

विभिन्न जोनल स्तरों से प्राप्त कार्ययोजनाओं के इतर वी0आई0पी0 संदर्भ सहित विभिन्न कार्यों हेतु प्राप्त हुए प्रस्तावों पर चर्चा उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी प्रकरणों को प्रथमतः सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के पास उक्त प्रस्तावों के आकलन एवं प्राक्कलन हेतु प्रेषित किया जाए। प्रभागीय वनाधिकारी को उक्त प्रस्तावों की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जाए कि वे कैम्पा के निर्धारित मानकों अनुसार कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों सहित प्रस्ताव तैयार करें एवं प्रस्तावों को निर्धारित प्रकिया अनुसार वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किए जाने हेतु, उचित माध्यम से कैम्पा कार्यालय को प्रेषित करें। तत्पश्चात् इन प्रस्तावों पर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाए।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं समस्त संबंधित क्रियान्वयन अभिरकण उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 18.4: उत्तराखण्ड कैम्पा के लेखा की अद्यतन स्थिति।

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये गये कार्यो का लेखा रखरखाव Double Entry System में Tally ERP9 Accounting Software के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के अंतर्गत विभिन्न वन प्रभागों/कियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष टैली प्रविष्टि का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। कुछ वन प्रभागों द्वारा वर्ष 2016–17 एवं विगत वर्षो का लेखा मिलान अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है, उन्हें इस स्तर से पत्र एवं अनमुस्मारक पत्र पेषित किये गये है एवं साथ ही लेखा मिलान शीर्घ पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसे क्रियान्वयन अभिकरणों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र.स	प्रभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2016 तक विगत वर्षो की मिलान हेतु लम्बित् धनराशि	वित्तीय वर्ष 2016–17
1	चम्पावत वन प्रभाग	567872.00	
2	पिथौरागढ़ वन प्रभाग	4190933.00	पुराना बैंक खाता बन्द नहीं किया गया है।
3	कार्बेट टाईगर रिजर्व		माह फरवरी, मार्च 2017 का लेखा प्रेषित नहीं किया है एवं लेखा मिलान पूर्ण नहीं किया गया है।
4	राजाजी टाईगर रिजर्व	849351.00	
5	टिहरी डैम द्वितीय	738452.00	
6	टिहरी डैम प्रथम	1909083.00	

7	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग	369317.87	
8	अल्मोड़ा वन प्रभाग	396157.72	
9	रामनगर वन प्रभाग	341064.00	
10	भूमि संरक्षण उत्तराकाशी	866452.00	
11	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	9902631.00	पुराना बैंक खाता बन्द नहीं किया गया है।

अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा इस संबंध में निर्देश दिये कि जिन क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा अनुस्मारक पत्रों को प्रेषित किये जाने उपरांत भी लेखा मिलान नहीं किया अथवा नियमित रूप से मासिक लेखा (क्लासीफाइड एकाउन्ट) नहीं प्रेषित किया जाता है तो उनके विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन स्तर पर सूचना प्रमुख वन सरंक्षक एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति उत्तराखण्ड कैम्पा के माध्यम से प्रेषित की जाए एवं ऐसे वन प्रभागों को कैम्पा निधि से कोई धनराशि अवमुक्त न की जाए।

(ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा कार्यो के आन्तरिक आडिट के संबंध में अवगत कराया गया कि क्रियान्वयन अभिकरणों के स्तर पर कैम्पा के अन्तर्गत किये गये कार्यो का महालेखाकार द्वारा आडिट एवं राज्य सरकार के स्तर पर स्थापित आडिट सैल/वन विभाग द्वारा आन्तरिक आडिट किया जा रहा है। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि यदि किसी Statutory liability के अन्तर्गत CA से Audit की आवश्यकता हो तो उसको कैम्पा स्तर पर करा लिया जाए। अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा की अधिसूचना के अनुसार कैम्पा की बैलेंस शीट के सत्यापन/आडिट हेतु महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड को एक अर्दशासकीय पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाए।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं समस्त संबंधित क्रियान्वयन अभिरकण उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 18.5: उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय प्रबंधन हेतु वार्षिक बजट

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के प्रबन्धन हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से वेतन, कार्यालय व्यय इत्यादि मदों में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु ₹ 303.60 लाख का बजट समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसको कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष संचालन समिति उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2017 को फील्ड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु वनाधिकारियों के प्रयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2016–17 में कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से वाहन क्रय करने हेतु ₹ 250.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया था। कार्यकारी समिति द्वारा उक्त पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी एवं अर्जित ब्याज के बजट में उक्त धनराशि को सम्मिलित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

कार्यसूची कार्यकारी समिति 18.6: एम0आई0एस0 एवं ई–ग्रीन वॉच की स्थिति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया

गया कि कैम्पा निधि के सूचना तंत्र को प्रभावी बनाने एवं विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत इकाईयों द्वारा किए गए कार्यों की कैम्पा कार्यालय के स्तर पर online अनुश्रवण किए जाने हेतु Management Information System (MIS) संचालित हैं जिसमें मदवार बजट आवंटन का प्राविधान किया गया हैं जिससे वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत मदों के सापेक्ष ही प्रगति दर्ज की जा सकती है। वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त ₹ 12223.9 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹ 9937.42 लाख के व्यय की प्रविष्टि MIS में की गई है।

समिति को अवगत कराया गया कि ऑनलाईन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उददेश्य से कैम्पा के समस्त स्थल विशिष्ट कार्यो की भारत सरकार द्वारा संचालित ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य है। एफ0एस0आई0 देहरादून की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा अपलोड किए गए कुल 8719 पॉलीगन्स में से लगभग 3210 पॉलीगन्स सही पाये गये है। उक्त पर एड–हॉक कैम्पा, भारत सरकार द्वारा त्रुटिपूर्ण पॉलीगन्स को ठीक किए जाने एवं इसकी मासिक विश्लेषण रिपोर्ट प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि इसके क्रम में सबंधित वन प्रभागों को त्रुटिरहित पॉलिगन की समयबद्व प्रविष्टि किए जाने के निर्देश दिये गए है। ई–गीन वॉच के माध्यम से किए जाने वाले ऑनलाइन अनुश्रवण की महत्ता, अनिश्चय (unascertainable) पॉलीगन्स को सही करने, त्रुटिरहित पॉलीगन्स की प्रविष्टि करने एवं समय–समय पर ई–ग्रीन वॉच की अद्यतन प्रगति रिर्पोट प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के अन्तर्गत ही ई–ग्रीन वॉच सेल की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित वन प्रभागों के स्टाफ हेतु refresher training की भी आवश्यकता है जिसे कैम्पा के अंतर्गत नवगठित ई–ग्रीन वॉच सेल द्वारा, (पूर्व में ई–ग्रीन वॉच का कार्य संपादित कर रहे ITGC के सहयोग से) कराया जाना उचित होगा।

अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि ई–ग्रीन वॉच का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें समर्यान्तगत एवं पूर्ण शुद्वता/यर्थाथता से किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत नव गठित ई–ग्रीन वॉच सेल को सुदृढ़ किये जाने इस पर संचालन का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक हैं जिसके लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा ई–ग्रीन वॉच का पूर्व में कार्य देख रहे आई.टी सेल में कार्यरत कार्मिकों द्वारा वर्तमान में कैम्पा में गठित ई–गीन वॉच सेल का कार्य देख रहे सहायक प्रबन्धक आई.टी.जी.सी कैम्पा को 10 से 15 दिन का नियमित प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही IT सेल में पूर्व से ई–ग्रीन वॉच का कार्य देख रहे कार्मिक को समय–समय पर इस संबंध में आने वाली तकनीकी समस्याओं का निराकरण करने व किसी भी प्रकार के सहयोग हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही –मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0 सेल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड कैम्पा एवं समस्त क्रियान्वयन अभिकरण)

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 18.7: वर्ष 2017–18 में वर्तमान तक संचालन समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण।</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया कि वर्ष 2017–18 की

कार्ययोजना के सापेक्ष समयबद्ध/वचनबद्ध कार्यों की महत्ता को देखते हुए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के अनुमोदनोपरांत विभिन्न वन प्रभागों/क्रियान्वयन अभिकरणों को मृदा एवं जल संरक्षण, वृक्षारोपण, कैट प्लान के अन्तर्गत वृक्षारोपण इत्यादि मदों में ₹ 1438.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसका समावेश वर्ष 2017–18 में की वार्षिक कार्ययोजना में कर लिया गया है। सदस्यगण उक्त से अवगत हुए।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं समस्त संबंधित क्रियान्वयन अभिरकण उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 18.8: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति सें।</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया कि वर्ष 2016–17 के प्रारम्भ से उत्तराखण्ड कैम्पा में केन्द्रीयकृत बैंकिग प्रणाली लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा क मदर एकाउन्ट, क्रियान्वयन अभिकरणों के चाइल्ड एकाउन्ट एवं उनकी रेंजो के ग्रैंड चाइल्ड एकाउन्ट यूनियन बैंक आफ इन्डिया एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में खोले गये है, किन्तु उक्त में कुछ स्थानों पर सम्बन्धित बैंक की शाखा न होने के कारण फील्ड में बैंकिग लेनदेन में कठिनाई आ रही है। इस संबंध में समिति के सदस्यो द्वारा प्रस्ताव दिया कि जहॉ पर संबन्धित बैंकों के शाखा नहीं है, उस स्थान पर यदि पंजाब नेशनल बैंक की शाखा उपलब्ध है तो क्रियान्वयन अभिकरणों के चाइल्ड एकाउन्ट एवं उनकी रेंजो के ग्रैंड चाइल्ड एकाउन्ट पंजाब नेशनल बैंक में खोले जा सकते हैं। इस प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त सदस्यगणों का धन्यवाद करते हुए, बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

(राजेन्द्र कुमार)
अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति
उत्तराखण्ड कैम्पा

****

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

उत्तराखण्ड शासन

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक–275 / 13–3(18)   दिनांक, देहरादून, 31 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक–275 (1)/13–3(18) दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखंड कैम्पा।